

1. शासन द्वारा शासन अधिनियम, 1988 के नियम 130 के अन्तर्गत

श्री शक्ति फार्म का प्रपत्र

क्र. सं.	खारा सं०	खसरा नंबर	रकबा	वर्तमान खार का विवरण	प्रस्तावित प्रविष्टि	दि०दि०
1.	2	3	4.	5.	6.	7.
1	9	376	0.4675	सुनील कुमार पुत्र कुंवर दिसा - 1/12 राजेश्वर देसा - 1/12 राजेश्वर शर्मा शांजीव बंके शाखा भांगुटा	सुनील कुमार पुत्र कुंवर देसा - 1/12 राजेश्वर देसा - 1/12 राजेश्वर शांजीव बंके शाखा भांगुटा	12/11/2025
<p>मुतादिक निसल / जमावन्दी संघत के</p> <p>उपरोक्तानुसार हिस्सा शुद्ध किया जाना प्रस्तावित है। प्रकरण अन्तर्गत धारा 138 के राज० नू० राजस्व अधिनियम 1958 के तहत श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महादेव अलवर के सम्मुख श्रवण योग्य है।</p>						
<p>साथिक राजस्व रिकॉर्ड से मिलान किया गया। रिपोर्ट मूल्यांकी पूर्ण है। अतः उपरोक्तानुसार खार में शुद्ध किया जाना उचित है।</p>						
<p>मोहला <u>Shivdal</u></p> <p>भूखण्ड नं० <u>12/11/25</u></p> <p>राजस्व अधिकारी की रिपोर्ट व साथिक रिकॉर्ड के मिलान के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्ध किया जाना उचित है। प्रकरण गन्तोखस्त सक्रियता के दौरान/पूर्व का होने से श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महादेव अलवर को सादर प्रेषित है।</p>						
<p>मोहला <u>Shivdal</u></p> <p>भूखण्ड नं० <u>12/11/25</u></p> <p>राजस्व अधिकारी की रिपोर्ट व साथिक रिकॉर्ड के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्धीकरण किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। भारत जमावन्दी में अमल किया जावे।</p>						

Shiv
07/10/2025
ह० मूल्यांकी
प० नं० 311/25

Shamal
7/11/2025
ह० मूल्यांकी
प० नं० 311/25

MS
08/10/25
ह० राजस्व अधिकारी
सहस्रीलधार (भू०अ०) भांगुटा

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
ह० उपखण्ड अधिकारी

दिनांक

नामान्तरकरण संख्या व दिनांक